हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

23/07/2024 प्रकरण में तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक: राजस्व/2024/858 दिनांक 28-06-2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होकर दिनांक 01-07-2024 को शामिल पत्रावली हो चुकी है। प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सेला के खसरा नंबर 792/269 रकबा 1.5920 हैक्टर वर्तमान में नगरपालिका फालना के नाम दर्ज है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क (ख) के अनुसार :-

कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है

तो आदेश द्वारा आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, भूमि में से होकर,

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकृष्टतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिये आवेदन मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

इस प्रकार विधि के प्रावधानों अनुसार एक खातेदार काश्तकार ही धारा 251 क के तहत अपनी जोत तक पहुँच मार्ग न होने की दशा में धारा 251 क के तहत नया मार्ग प्राप्त कर सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम सेला स्थित भूमि खसरा नंबर 792/269 रकबा 1.5920 हैक्टर वर्तमान में नगरपालिका खुडाला-फालना के खातेदारी में दर्ज है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner